न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना, मेरठ।

फौजदारी विविध वाद संख्या–05/2024
C.N.R. No.–UPME120012612024

राहुल **बनाम** शिवानी आदि
थाना–मवाना
जिला–मेरठ।

दिनांक–11.09.2024:–

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173 (4) B.N.S.S. का निस्तारण :–

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र धारा–173(4) B.N.S.S. पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की शादी विपक्षणी सं01 के साथ हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार साधारण तरीके से हुई थी। उनके कोई बच्चा नहीं है। प्रार्थी ने विपक्षी सं01 को खुश रखा किन्तु उसने प्रार्थी व परिवार के विरूद्ध थाना मवाना पर झूठा मुकदमा अपराध सं0 366/2022 दहेज व मारपीट के सम्बंध में दर्ज कराया और भारती महिला एवं जन कल्याण समिससति रजि0 उ0प्र0 से नोटिस भिजवाया । प्रार्थी जब वहां पर गया तो उन्होंने फेसले के लिए कहा और डेढ लाख रूपये में फेसला हो गया। प्रार्थी ने पैसा कोर्ट में देने के लिए कहा तो इस पर विपक्षीगण ने सोची समझी साजिश के तहत विपक्षीसं01 को फर्जी चोटे दर्शाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया और हिन्दूस्तान अख्बार में निकलवाया और समाज में बदनाम कर दिया। पुलिस द्वारा विपक्षी सं01 का मेडिकल कराने पर उसका मेडिकल परीक्षण साधारण प्रकृति का आया। दिनांक 29.07.2023 को समय करीब 11 बजे रात विपक्षी सं01 का फोन आया और उसने बबताया कि यह सब ड्रामा तुम्हे परेशान करने के लिए किया गया है। प्रार्थी द्वारा घटना की बाबत थाना हाजा व पुलिस उच्चाधिकारीगण को प्रार्थनापत्र दिये किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थनी द्वारा याचना की गयी है कि सम्बंधित थानाध्यक्ष को उचित धाराओं में वाद पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया जाय।

थाना हाजा की आख्यानुसार प्रार्थनापत्र के सम्बंध में कोई केस पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थनी द्वारा पुलिस एवं उच्चाधिकारीगण को प्रेषित प्रार्थनापत्र की प्रति,एवं रजिस्ट्री की रसीद, भारती महिला एवं जनकल्याण समिति रजि0 उ0प्र0 का नोटिस प्रति, फोटो ग्राफस, अख्बार प्रति, व नोटिस आदि की प्रति दाखिल की गयी।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) B.N.S.S. का समुचित निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ द्वारा विधि व्यवस्था **सुखवांसी बनाम उ0प्र0 राज्य 2007 (59) ए0 सी0 सी0 739** में प्रतिपादित किया गया है कि मजिस्ट्रेट के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वह धारा–156 (3)दं0प्र0सं0 के प्रार्थना–पत्र पर सम्बन्धित थाना में मामला दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित करे, अपितु न्यायालय के पास यह न्यायिक विवेकाधिकार है कि वह प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में दर्ज कर परिवाद मामले के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है ।

प्रार्थी तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा इस स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में ऐसे तथ्य प्रतीत नहीं होते है जिनके सम्बन्ध में पुलिस जांच की आवश्यकता हो अथवा पुलिस हस्तक्षेप आवश्यक हो।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी के द्वारा विपक्षी पर पैसों के लेन देन, चैक चोरी करने, मारपीट करने ,अभद्र व्यवहार करने व जान से मारने की धमकी का आक्षेप लगाया है। मारपीट के सम्बंध में प्रार्थी के द्वारा चिकित्सीय प्रपत्र भी पत्रावली में दाखिल किया गया है। अतः समस्त तथ्य प्रार्थी की जानकारी में है। जिसे वह न्यायालय में अपने साक्ष्य से साबित कर सकता है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के मत में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) B.N.S.S. परिवाद के रूप में चलाये जाने हेतु प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) B.N.S.S. परिवाद के रूप चलाये जाने हेतु प्रकीर्ण वाद के रूप में में पंजीकृत हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं. दिनांक 30.09.2024 को पेश हो।

(शिवेन्द्र शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना
(मेरठ)
ID.No.-UP3792

This is uncertified copy for information/Reference. for authentic copy please refer to certified copy only.